

सूचना का अधिकार

4(1)(ख)(viii)- ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण

क्र०सं०	समिति का नाम	समिति के दायित्व	समिति के सदस्य	समिति के गठन की तारीख	समिति की बैठकों की आवृत्ति	अब तक कुल कितनी बैठकें आयोजित की गईं (1 दिसंबर, 2017 तक)
1.	स्थानान्तरण समिति	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी मामलों पर विचार करना और अपनी सिफारिशें निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करना।	<ol style="list-style-type: none"> संयुक्त निदेशक-अध्यक्ष उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर)- सदस्य उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान. सदस्य उप निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो- सदस्य प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान- सदस्य सचिव 	दिनांक 21-06-2016	जब भी आवश्यकता हो	<ol style="list-style-type: none"> दिनांक- 08-07-2016 26-07-2016 25-04-2017 31-10-2017 <p>कुल= 04</p>